जनसंपर्क संचालनालय

मध्य प्रदेश शासन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 1/4/2016 ~~मार्च, 2016~~

क्रमांक ए 1-16/2014-16/भाग-दो/ 2393/म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2010 **तथा** सहपठित परिपत्र क्रमांक 1059/1255/2011/आ.प्र./एक/23.12.2011 में निहित प्रावधान के तहत व्यापम द्वारा जारी **विज्ञापन** के अनुक्रम में भृत्य (नियमित) के रिक्त पदों के लिये सहारिया, भारिया और बैगा जनजाति वर्ग के आवेदकों **ने जनसंपर्क** संचालनालय में सीधे आवेदन प्रस्तुत किये । **अनुसूचित जनजाति के इन उपजाति वर्गों के विशेष उपबंध के तहत संचालनालय स्तर पर चयन प्रक्रिया के बिना भृत्य के पद पर नियुक्तियाँ प्रदान की जाना है।**

2. इस संबंध में प्राप्त आवेदनों का परिनिरीक्षण, प्रमाणीकरण और चयन के लिये संचालनालय स्तर पर **समिति गठित की** गई। इसके साथ ही ओपन एवं महिला वर्ग से चयनित आवेदकों के जाति/शैक्षणिक योग्यता आदि प्रमाण-पत्रों **की विहित** अधिकारियों से पुष्टि भी कराई गई।

3. शासन की अधिसूचना में निहित प्रावधान/उपबंधों के तहत अप्रत्याशित रिक्ति के लिए चयनित किये गये **निम्नलिखित** आवेदकों को **भृत्य के पद वेतनमान 4440-7440+**ग्रेड पे-1300 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से **नियुक्त** किया जाकर अन्य आदेश पर्यन्त कॉलम 4 में दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	आवेदक का नाम	वर्ग	पदस्थापना
1.	श्री राजेश बैगा, पुत्र स्व. श्री जगधू बैगा, ग्राम दूधी बैगिन टोला पोस्ट जोधपुर तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल	अ.ज.जा. **(बैगा)**	जिला जनसंपर्क कार्यालय, **शहडोल**
2.	कु. बालकृष्णा भारती पुत्री श्री दूधेलाल, ग्राम गुढ़िछतरी (पातालकोट) पोस्ट तहसील, जिला छिन्दवाड़ा	अ.ज.जा. **(भारिया)**	जिला जनसंपर्क कार्यालय, नरसिंहपुर

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. कि वे सेवा शर्तों के उन परिवर्तनों से बाध्य होंगे, जिन्हें शासन समय-समय पर परिवर्तन करना उचित **समझे उदाहरणार्थः-** अवकाश नियम,पेंशन नियम आदि में परिवर्तन ।
2. कि उन्हें संचालनालय के अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा ।
3. कि उनकी नियुक्ति विशुद्धतः अस्थाई होगी तथा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का लिखित नोटिस अथवा उसके बदले एक माह के वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पूर्व अथवा बाद में यदि वे अपने **कार्य से बिना** अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये **शासकीय सेवा** छोड़ दी है। उन्हें एक माह अथवा नोटिस अवधि में जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि के वेतन भत्तों का भुगतान करना होगा।
4. कि राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित **अंशदान** पेंशन प्रणाली का प्रावधान है । सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाए जाएं और उन्हें लागू किया जाए, के अध्यधीन रहेंगे।
5. कि नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापना के जिला मुख्यालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य **प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना होगा।
6. कि चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदस्थापना कार्यालय के माध्यम से जनसंपर्क संचालनालय, **भोपाल को** भेजना होगा । नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य **नही है, तो** उसे दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
7. कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-6 के उपनियम(6) जिसमें प्रावधान **है कि कोई भी** उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान जीवित होने पर एक का जन्म यदि 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, तो किसी भी शासकीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र माना जावेगा।
8. कि उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/तथ्य असत्य पाए जाने पर तथा प्रमाणित होने पर दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. **कि नियुक्त कर्मचारी दो वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त रहेंगे । इस अवधि में पद के वेतनमान का न्यूनतम मूल वेतन प्राप्त होगा। परिवीक्षा अवधि /वेतनवृद्धि के लिए मान्य नहीं होगी।**
10. कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 20 अगस्त,2009 में दिये गये प्रावधानों के तहत भृत्य के लिये वेतन बेण्ड 4440-7440 में इनका वेतन कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को रूपये **4750/-ग्रेड-पे-1300**/-निर्धारित होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला आरक्षण के संबंध में राज्य शासन के प्रावधानों /आदेशों का पालन किया गया है तथा संबंधित संवर्ग के लिए निर्धारित/संधारित रोस्टर में संबंधित वर्ग के अन्तर्गत रिक्त बिन्दु पर प्रविष्टि की गई।

(अनुपम राजन)
आयुक्त, जनसंपर्क

पृ.क्रमांक ए 1-16/2014-16/भाग-दो/ 2394 भोपाल, दिनांक 1/4/2016 मार्च, 2016

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. नियन्त्रक, एक्जामिनेशन बोर्ड चयन भवन, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल ।
3. स्टेनो, आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल ।
4. समस्त अपर संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल ।
5. संयुक्त/उप संचालक, लेखा/वित्त, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल ।
6. संयुक्त/उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, रीवा/जबलपुर ।
7. उप/सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय शहडोल/नरसिंहपुर को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण की तिथि से मुख्यालय को अवगत करायें एवं सम्बन्धित के सेवा अभिलेख भी तैयार करवायें ।
8. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, शहडोल/नरसिंहपुर ।
9. सहायक संचालक/अधीक्षक/कनिष्ठ लेखाधिकारी/संबंधित संहायक/स्थापना/गोपनीय कक्ष/अवकाश/लेखा (जीपीएफ,जी.आई.एस, परिवार कल्याण निधि, वेतन,बजट) जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल ।
10. श्री राजेश बैगा, पुत्र स्व. श्री जगधू बैगा, ग्राम दूधी बैगिन टोला पोस्ट जोधपुर तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल की ओर **रजिस्टर्ड डाक** से प्रेषित। **कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा ।**
11. कु. बालकृष्णा भारती पुत्री श्री दूधेलाल, ग्राम गुढ़िछतरी (पातालकोट) पोस्ट तहसील, जिला छिन्दवाड़ा की ओर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित। **कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा ।**
12. स्टाक रिकार्ड।

(अनिल माथुर)
संचालक, जनसंपर्क